

02-06-20  
 2/11/2020  
 वादी माफ तमील में उपरिष्ठ होकर प्रत्यक्ष  
 विज्ञा किये जाने वादपत्र पेश कर विवेचन किया  
 कि प्रकरण में विवाहित पक्षकारण के मध्य  
 वाहणी राजीनामा हो चुका है। वादी प्रकरण को  
 ओर आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रत्यक्ष  
 स्वीकार कर वादपत्र विज्ञा करने की अनुमति  
 प्रदान करें।

चूंकि विवाहित पक्षकारण के मध्य वादी  
 के मध्यानुसार वाहणी राजीनामा हो चुका है  
 एवं अ-वादी प्रकरण में न्यायालय द्वारा से आगे  
 कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रार्थी  
 का प्रत्यक्ष स्वीकार किया जाकर वादपत्र विज्ञा  
 किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।  
 प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं  
 है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर drop  
 की जाती है। पत्रवाली फौजल शुमार होकर  
 नम्बर से फल हो तथा बल तमील दाखिल  
 वफ़र हो। हुस्म मुनाथा गया।



(सुभाष भांडव)  
 न्यायक कलक्टर  
 फारस गण्डेला